उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1078/VII-A-1/2022–15 उद्योग/06
देहरादून,दिनांकः 8 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–2006/VII-A-1/2021/15 उद्योग/06, दिनांक 24 नवम्बर, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 78 एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 16 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अर्द्धन्यायिक प्रकरणों पर औद्योगिक विकास विभाग में प्राप्त अपीलों/अर्द्धन्यायिक प्रकरणों पर पुनरीक्षण/अपील का प्राधिकारी राज्य सरकार में निहित होने, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 58 एवं नियम 60 के अन्तर्गत एवं मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेशित प्रकरणों में शासन स्तर पर सुनवाई के प्रकरण सक्षम स्तर (विभागीय सचिव) पर निर्णित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 नवम्बर, 2021 को अधिक्रमित करते हुए औद्योगिक विकास (खनन) विभाग में अपर सचिव की तैनाती होने तक उक्तानुसार सुनवाई किये जाने हेतु संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्याः 1078 (1)/VII-A-1/2021–15 उद्योग/06, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
2. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला खान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एन०आई०सी०/मीडिया सेन्टर।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

Letter

CS Scanned with CamScanner